बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 सं0 : 03 / 02 / रा0 यो0– यो0स्वी0 (ILRMS)– 01 / 2023 4277

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक – 16/05/2023

विषय : **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की ऑनलाईन नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करने तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एकीकृत भू–अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करने एवं कार्यान्वयन का कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0), रूड़की से कराने हेतु, नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने तथा इस कार्य पर 16,50,00,000.00 (सोलह करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र (कर रहित) के व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

2. राज्य में भू–विवादों को न्यून करने के लिए आवश्यक है कि अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र में अद्यतन वास्तविक स्थिति के अनुसार ऑकड़ों का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। प्रवर्त्तमान में क्रियान्वित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 14 के आलोक में डिजिटल रूप में तैयार होनेवाले मानचित्र एवं अधिकार– अभिलेख का निरंतर अद्यतीकरण किया जाना सरकार का दायित्त्व है। मानचित्र एवं अधिकार–अभिलेख के निरंतर अद्यतीकरण की प्रक्रिया के लिए अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र में संधारित किए गए डाटा को आपस में एकीकृत किया जाना आवश्यक है।

3. **भू–अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन से प्रमुख लाभ :–**

- विभाग एवं नागरिकों के मध्य पारदर्शिता।
- अभिलेखों एवं मानचित्रों का शुद्धता के साथ वास्तविक समय में अद्यतीकरण।
- भू–धारकों के लिए भूमि पासबुक की उपलब्धता।
- चालू खतियान, जमाबंदी पंजी एवं विभिन्न संबंधित अभिलेखों का वर्त्तमान स्थिति के अनुसार स्वतः अद्यतीकरण।
- ऑनलाईन भू–लगान भुगतान एवं दखल–कब्जा प्रमाण–पत्र की सुविधा।
- अधिकार अभिलेख, चालू खतियान, खेसरा–पंजी, दाखिल–खारिज पंजी एवं शुद्धि पत्र / आदेश को देखने एवं डॉउनलोड करने की सुविधा।
- निबंधन एवं अन्य विभाग तथा बैंकों के साथ डाटा अन्तरण की सुविधा।
- वास्तविक समय आधारित मानचित्र की सहायता से योजना एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया का सरलीकरण।

- आधार सिडिंग की सुविधा।
- भू–अर्जन की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- ऑनलाईन भू–मापी की सुविधा।
- ऑनलाईन गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन कराने की सुविधा।
- भविष्य में भू–सर्वेक्षण कार्य करने की आवश्यकता नहीं।
- एम0आई0एस0 एवं ऑनलाईन प्रतिवेदन की उपलब्धता।

4. कंडिका–3 में उल्लिखित तथ्यों के साथ ही वर्त्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत कार्यरत पोर्टल यथा– भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र, परिमार्जन, जमाबंदी, भू–लगान, भू–सम्परिवर्त्तन एवं प्रमाण–पत्र, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, शिकायतों का निष्पादन इत्यादि के साथ समन्वयन स्थापित किया जा सकेगा।

5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए एकीकृत भू–अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का कार्य नामांकन के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0), रूड़की के माध्यम से कराया जायेगा।

6. राज्य योजना मद से **एकीकृत भू–अभिलेख प्रबंधन प्रणाली** विकसित करने एवं कार्यान्वयन का कार्य **नामांकन के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0), रूड़की** से कराने हेतु **16,50,00,000.00 (सोलह करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र (कर रहित)** के व्यय की स्वीकृति प्राप्त है।

7. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व – उप मुख्यशीर्ष – 00 – अन्य भवन – लघुशीर्ष– 102 – सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य – उप शीर्ष– 0101 – सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण, माँग संख्या – 40, विपत्र कोड 40॰ 2029001020101, राज्य योजना स्कीम कोड REV-5536 के अंतर्गत विषय शीर्ष – व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ इकाई कोड– 28 04 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी।

8. योजनान्तर्गत कार्य हेतु उपबंधित एवं स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. सभी निकासी सिंचाई भवन कोषागार से की जायेगी। विधिवत् रूप से स्वीकृत एवं अनुमान्य दर पर राशि की निकासी एवं व्यय के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

10. प्रस्ताव में योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक 31 लो0वि0/यो0वि0, पटना दिनांक 25.01.2023 द्वारा लोक वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

11. इस योजना के लिए कर्णांकित राशि के व्यय एवं नामांकन के आधार पर कार्य कराने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर निदेशालय की संचिका संख्या 03/02/रा0 यो0–यो0स्वी0 (ILRMS)– 01/2023 की टिप्पणी पृष्ठ संख्या– 27/टि0 में दिनांक 12.05.2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या– 06 पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

12. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना की संचिका संख्या 03/02/रा0 यो0– यो0स्वी0 (ILRMS)– 01/2023 के टिप्पणी पृष्ठ 29/टि0 दिनांक 16.05.2023 पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश का संसूचन किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 16/5/23
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 03/02/रा0 यो0– यो0स्वी0 (ILRMS)– 01/2023 4277 **पटना, दिनांक** 16/05/2023

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव 16/5/23
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 03/02/रा0 यो0– यो0स्वी0 (ILRMS)– 01/2023 4277 **पटना, दिनांक** 16/05/2023

प्रतिलिपि : निदेशक/सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव 16/5/23
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 03/02/रा0 यो0– यो0स्वी0 (ILRMS)– 01/2023 4277 **पटना, दिनांक** 16/05/2023

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव 16/5/23
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

e-Mail **ज्ञापांक** : 03/02/रा0 यो0– यो0स्वी0 (ILRMS)– 01/2023 4277 **पटना, दिनांक** 16/05/2023

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव 16/5/23
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

e-Mail **ज्ञापांक** : 03/02/रा0 यो0– यो0स्वी0 (ILRMS)– 01/2023 4277 **पटना, दिनांक** 16/05/2023

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी, आई0 टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय तथा निदेशालय के बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव 16/5/23
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग